तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/9/25	पत्रावली पेश हुई S.D.M. [illegible] कैम्प [illegible] [signature] अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1.10.25 को पेश हो।
1.10.25	पत्रावली आज पेश हुई आर द्वारा [illegible] स्थगन किया गया। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13.10.25 को पेश की जावे
13.10.25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...... 28.10.25 को पेश की जावे
16.10.25	पत्रावली आज म० डावरी केम्प ग्रामिण सेवा शिविर 2025 मे रखी गई, प्रकरण मे तहसीलदार बेगू ने जवाब प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि रिपोर्ट भू. अ. निरिक्षक एवं पटवारी के अनुसार प्रार्थी का नाम थान मल पिता प्रभूलाल है लेकिन विरासत का नामान्तरण दर्ज कराते समय पटवार हल्का द्वारा थाना पुत्र प्रभू अंकित कर दिया। थान मल पुत्र प्रभू लाल व थाना पुत्र प्रभू लाल एक ही व्यक्ति है। प्रकरण मे तहसीलदार बेगू को सुना जाने के पश्चात प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, व T.C, राशन कार्ड, बैंक डायरी, पेन कार्ड, की छाया प्रति एव प्रार्थी स्वंय का शपथ पत्र एवं ग्रा.प. नन्द वाई का प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया इन सभी दस्तावेज मे थान मल पिता प्रभू लाल दर्ज अंकित है। किन्तु प्रा.पत्र मे सलग्न जमाबन्दी ग्राम जालम पुरा प.ह. म० डवरी के खाता स. 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 94 की जमाबन्दी सम्वत 2078-2078 की सभी जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम थाना पिता प्रभू दर्ज अंकित है। जिसे सुधारा जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अ॰ धा॰ 136 L.R.A का स्वीकार किया जाता मौजा जालमपुरा प॰ह॰ मण्डावरी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2078-2078 के खाता सं॰ 2, 3, 4, 5, 6, 7, व 94 मे अंकित खातेदार थाना पुत्र प्रभु के स्थान पर थाना उर्फ थानमल पुत्र प्रभु दर्ज अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	